दिनांक 24.2.89 को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति :-

1- श्री एस०एस०पांगती, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी । ---अध्यक्ष

2- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून । उपाध्यक्ष

3- सुश्री विभापुरी, जिलाधिकारी, देहरादून । ---सदस्य

4- [illegible]

5- प्रोफेसर पी० आर० सिंह, निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०

6- हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० 24/2/89

7- श्यामकृष्ण, विशेष कार्याधिकारी (वित्त विभाग, उ०प्र०शासन) श्यामकृष्ण 24.2.89

8- ब्रज मोहन रतन सहयुक्त नियोजक देहरादून

9- महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता जलनिगम देहरादून

10- के० के० शर्मा क्षे० अधिकारी, उ०प्र०प्र०नियंत्रण बोर्ड देहरादून. 24/2

11- के० एल० साह सहायक निदेशक उद्यान मसूरी

12- नरेन्द्र सिंह नेगी वन संरक्षक यमुना वृत्त.

13- बी० के० शर्मा अधि० अभियन्ता लो० नि० वि० देहरादून

14- जोतसिंह अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी. जोतसिंह

15- [illegible] " " देहरादून

16-

17-

18-

19-

20-

121

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.2.89 का कार्य वृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव ।

उपाध्यक्ष ।

3.3.89

Issue copies

14/3

दिनांक 24.2.89 को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही

==========

श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त गढ़वाल मण्डल ----अध्यक्ष

श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून । ----उपाध्यक्ष

श्रीमती विभापुरी, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून । ----सदस्य

श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक, देहरादून । ----सदस्य

श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, सिटी बोर्ड, देहरादून । ----सदस्य

श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी --- सदस्य

श्री श्याम कृष्ण, विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ । ---सदस्य

प्रोफेसर पी0आर0सिंह, निदेशक पर्यावरण उ0प्र0 लखनऊ । ----सदस्य

श्री एन0एस0नेगी, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून ---सदस्य

श्री पी0के0शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, 24 वां वृत्त, देहरादून । ---सदस्य

श्री एच0के0शर्मा0वरिष्ठ, नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0लखनऊ । ---सदस्य

==========

स्थिति :-

=====

श्री महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून ।

श्री बृज बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून ।

श्री के0एल0साह, निदेशक, पर्यटन मसूरी ।

श्री के0के0शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून ।

श्री यू0डी0चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

श्री डी0एस0मसराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(5)

सर्व-प्रथम देहरादून सिटी बोर्ड के नव-निर्वाचित अध्यक्ष, श्री दीनानाथ [illegible]जा (जो सिटी बोर्ड के अध्यक्ष होने के फलस्वरूप विकास प्राधिकरण के सदस्य [illegible] गये हैं,) का स्वागत किया गया और तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ [illegible] गयी ।

[illegible]षय क्रमांक:-1:-

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि:-

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी तथा अध्यक्ष महोदय [illegible]रा कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर किये गये। गत बैठक की अनुपालन आख्या [illegible] गयी। पावर आफ अटार्नी के मामले में चर्चा हुयी। यह अवगत कराया गया [illegible] जिन मामलों में कई आवेदकों ने एक व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी देकर [illegible]आउट प्लान प्रस्तुत किया था उनमें डी०जी०सी० की राय के अनुसार अतिरिक्त [illegible]चित्र शुल्क जमा करवा लिया गया है। डी०जी०सी० की राय पढ़ी गयी [illegible]से यह स्पष्ट हुआ कि पॉवर आफ अटार्नी के आधार पर तलपट मानचित्र [illegible]कृत करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि प्रत्येक खातेदार का अलग-अलग [illegible]ट मानचित्र बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है। तथापि श्री नन्दन सिंह [illegible]त के मामले में यह निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष स्वीकृति देने से पूर्व [illegible] बिन्दु का परीक्षण करालें कि कहीं इस मामले में सीलिंग के प्राविधानों का [illegible]घन तो नहीं हुआ है।

(कार्यवाही सचिव)

बैठक में बताया गया कि केन्द्रीय सहकारी कर्मचारी आवास [illegible]ति द्वारा अभी तक सीलिंग का एन०ओ०सी० प्रस्तुत नहीं किया गया है व [illegible]र्थ सहकारी समिति द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जा रही है । यह [illegible]श दिये गये कि चूँकि यह मामले बहुत पुराने है अत: सीलिंग के बिन्दु का [illegible]क्षण शीघ्र करवाकर साथ ही विकास कार्यों के आगणन की जांच कर स्वीकृति [illegible] दिशा में अग्रिम कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही सचिव)

शिप्रा सहकारी आवास समिति के तलपट मानचित्र के मामले में [illegible]ंग के प्रश्न पर डी०जी०सी० से प्राप्त की गयी राय पढ़ी गयी तथा यह [illegible]ा गया कि भूमि का दाखिल खारिज समिति के नाम हो चुका है और

लिंग के दृष्टिकोण से भी डी0जी0सी0 ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। रापि प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि सीलिंग के सम्बन्ध में जिला का निर्णय 1978 का है व सीलिंग कार्यालय का प्रमाण पत्र वर्ष 1982 में री किया गया है अत: डी0जी0सी0 की राय इस बिन्दु पर पुन: प्राप्त जाय कि क्या वर्ष 1986-87 में भूधारक द्वारा समिति को भूमि विक्रय करते य सीलिंग विभाग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था क्योंकि इस बीच स्टर प्लान प्रभावी हो चुका था जिसमें इस क्षेत्र का भूउपयोग आवासीय हो था जबकि जिला जज ने इस भूमि का उपयोग कृषि होने के आधार पर सीलिंग धिनियम से मुक्ति प्रकट की थी। तत्कालीन नगर नियोजक द्वारा तलपट नचित्र का विस्तृत परीक्षण किया जा चुका है पर फिर भी इसे सहयुक्त नियोजक देख लें। डी0जी0सी0 की राय पर अध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिया य।

विषय क्रमांक :- 2:-

30.9.1988 तक भवन मानचित्रों व अनधिकृत निर्माणों के वादों के निस्तारण की प्रगति।

प्राधिकरण की प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया और संतोष किया गया।

विषय क्रमांक:- 3:-

मसूरी में पिक्चर पैलेस के पास कार पार्किंग।

मसूरी में पिक्चर पैलेस के पास कार पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में धिकरण को यह बताया गया कि इस परियोजना में लगभग 10 लाख रूपये होगे जबकि वार्षिक आय केवल 25 हजार रू0 प्रति वर्ष प्रतिवेदित की गयी है। प्रकार वित्तीय दृष्टि से तथा आर्थिक दृष्टि से यह योजना लाभप्रद नहीं यी गयी परन्तु अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी ने जनहित में इस योजना की वश्यकता पर बल दिया जिसको देखते हुये सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया इस परियोजना के निर्माण करने के लिये व्यापक आगणन तथा तकनीकी परीक्षण ड्राईंग तैयार कर लिया जाय। यह भी बताया गया कि इस मामलें में यदि र्स पर आधारित तथा मंजिलों पर आधारित पार्किंग होगा तो कदाचित और क कवर्ड एरिया पार्किंग हेतु अथवा अन्य उपयोग हेतु प्रयोग में लिया जा ा है और आय में वृद्धि हो सकती है।

॥कार्यवाही सचिव॥

क्रमश...4.

विषय क्रमांक:- 04:-

हुसैन गंज मसूरी में प्राधिकरण द्वारा 17 एकड़ भूमि का स्थल विकास/हाउसिंग हेतु हुडको द्वारा मान्यता प्राप्त पैनल परामर्शदाता की आर्किटेक्चरल सेवायें प्राप्त करने हेतु कौन्सिल आफ आर्किटेक्ट द्वारा निर्धारित तथा हुडको द्वारा अपनाये जा रहे पारिश्रमिक की दरों का अनुमोदन ।

इस विषय पर अध्यक्ष, सिटी बोर्ड, सहयुक्त नियोजक अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा उप वन संरक्षक/वन संरक्षक व सचिव विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गयी जो शीघ्र स्थल निरीक्षण कर यह बतायेगी कि 16 एकड़ भूभाग के कितने क्षेत्र में आवासीय योजना व्यवहारिक रूप से सम्भव है । अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी ने इस बात पर बल दिया कि मसूरी के मूल निवासियों के लिये कहीं न कहीं तो आवास उपलब्ध कराने ही होंगे । जिन-जिन पैचेज ‹Patches› में बिना पेड़ काटे हुये मकान निर्मित हो सकते है, उन पैचेज ‹Patches› का अभिज्ञान करा लिया जाय । तदोपरान्त विषय अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय । इस बीच हुडको के पैनल में शामिल आर्कीटेक्ट्स के रेट ज्ञात कर लिये जाय । समिति के संयोजक सचित होंगे ।

‹कार्यवाही सचिव›

विषय क्रमांक :- 5:-

विकास शुल्क की दरों में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।

सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण को यह अवगत कराया गया कि विकास शुल्क की दरें विकास कार्यों की लागत के अनुरूप पर्याप्त न होने के कारण उनमें वृद्धि आवश्यक है ताकि प्राधिकरण विकास कार्यों का व्यय वहन कर सकें ।

इस विषय पर सम्यक् विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण द्वारा यह विषय आगामी बैठक तक के लिये स्थगित किया गया ।

क्रमश....5.

विषय क्रमांक=06:-
============

इंडियन ओवरसीज बैंक इम्पलाईज को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी (मूलचन्द्र इन्कलेव) ग्राम माजरा के आवासीय तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में ।
==

इस हाउसिंग सोसाईटी के तलपट मानचित्र में तीन खसरा नम्बरों क्रमांक 183, 187 एवम् 193/1 का निर्धारित भूउपयोग पूर्वत: आवासीय है . परन्तु खसरा नम्बर 186 तथा 195 का भूउपयोग बाद में आवासीय से हरित पट्टी में परिवर्तित कर दिया गया और इसी आधार पर तलपट मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया जिसके विरुद्ध अध्यक्ष के यहां अपील दायर की गयी और वहां से यह मामला पुन: रिमाण्ड हुआ। यह भी बताया गया कि हरित पट्टी में परिवर्तित करने से पूर्व शासन द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से आपत्तियां एवम् सुझाव आमंत्रित करने हेतु नवम्बर, 1986 में देहरादून के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्र0 जारी करायी गयी थी परन्तु समिति ने तब कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।उनके तलपट मानचित्र में प्रस्तावित पांच भूखण्डों का भू-उपयोग आवासीय से कृषि में परिवर्तित हो गया है। यदि समिति द्वारा उस समय आपत्ति कर दी गयी होती तो कदाचित इन दोनों भूखण्डों का भू-उपयोग हरित पट्टी में परिवर्तित नहीं होता। अब तहसीलदार देहरादून से यह आख्या प्राप्त हुयी है कि ये दोनों भूखण्ड बन्दोबस्ती ग्राम आबादी के 100 मीटर के अन्दर स्थित है, व प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता ने भी स्थल निरीक्षण के उपरान्त इसकी पुष्टि की है। हालांकि 100 मीटर की आबादी के अन्तर्गत आवासीय मानचित्र व्यक्तिगत मामले में स्वीकृत किये जाते हैं परन्तु इस मामले में समिति की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से यह निर्णय हुआ कि यह तलपट मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाय व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक:-07:-
=============

मसूरी में रौक क्लिफ ईस्टेट में श्री अजय पौल द्वारा कौटेजेज का निर्माण ।
==

इस मामले में श्री अजय पौल द्वारा एक क्लब हाउस, 11 सिंगल रूम काटेजेज तथा 42 सिंगिल बेड रूम कौटेजेज्/डबल बेड रूम कौटेजेज् का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। क्लब हाउस तथा सिंगिल रूम कौटेजेज् में क्रमांक अंकित

(132)

नहीं है परन्तु सिंगिल बेड रूम/डबल बेड रूम कोटेजेज क्रमांक 1 से 42 अंकित है । सभी कोटेजेज की गिनती करने के उपरान्त क्लब हाऊस के एक कमरे को एक कोटेजेज मानते हुये 63 इकाईयों का निर्माण प्रस्तावित था । यह मामला उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग को सन्दर्भित किया गया तो उनके द्वारा यह सूचित किया गया कि जहां निर्माण प्रस्तावित है वह स्थल प्राईवेट फोरेस्ट नोटीफाईड नहीं है । उन्होंने 21 कोटेजेज के निर्माण की संस्तुति की व शेष कोटेजेज एवम् क्लब हाऊस के आस पास बनीकरण की स्थिति व हिल कटिंग की सम्भावना को देखते हुये उनकी संस्तुति नहीं की । सहयुक्त नियोजक द्वारा भी मानचित्र का परीक्षण कराया गया । उन्होंने हिल कटिंग की आपत्ति पर केवल तीन कोटेजेज निरस्त करते हुये शेष समस्त प्रस्तावित निर्माण की संस्तुति की । इस मामलें मे दोनों आख्याओं में व्यापक अन्तर हो जाने के कारण प्राधिकरण के सचिव द्वारा भी प्राधिकरण के तकनीकी स्टाफ के साथ स्थल निरीक्षण कराया गया । उन्होंने 28 कोटेजेज के निर्माण की संस्तुति की । प्रतिवेदित करने वाले सभी अधिकारियों का यह मत पाया गया कि जिन कोटेजेज का निर्माण प्रस्तावित है वह अधिकांश पूर्व निर्मित जीण-शीर्ण भवनों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर अथवा पूर्व निर्मित टेरेसेज पर प्रस्तावित है । सचिव विकास प्राधिकरण की आख्या में क्लब हाऊस तथा सिंगिल रूम कोटेजेज के निर्माण की संस्तुति नहीं की गयी क्योंकि इनका निर्माण ऊँचाई पर तथा बनीकरण के समीप प्रस्तावित है । नगरपालिका व जल संस्थान की भी राय प्राप्त की गयी । उन्होंने भी कतिपय शर्तों के साथ अनापत्ति प्रकट की ।

नगरपालिका, जल संस्थान तथा उप वन संरक्षक ने अपनी संस्तुतियों में जो शर्तें लगायी है, उन सभी शर्तों को पालन करने का आश्वासन आवेदक ने शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया है और 5,000/- की जमानत की धनराशि खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने हेतु वन विभाग के पक्ष में बन्धक रख दी है ।

अतः नगरपालिका, जल संस्थान, उप वन संरक्षक, सहयुक्त नियोजक व सचिव की आख्याओं को देखते हुये व मानचित्र का अवलोकन करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मानचित्र में नीचे की ओर 34 कोटेजेज के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया परन्तु अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार यह शर्त और जोड़ने का निर्देश दिया गया कि पुराने भवनों को ध्वस्त करने ----7---

(134)

के फलस्वरूप निकला मलवा नये निर्माण में ही प्रयोग आयेगा या नगरपालिका द्वारा इंगित उपयुक्त स्थान पर ही फेंका जायेगा व कोई हिल/भूमि कटिंग नहीं की जायेगी ।

॥कार्यवाही सचिव॥

वन संरक्षक यमुना वृत्त ने यह सुझाव दिया कि आगे से मसूरी में किसी ईस्टेट में निर्माण की स्वीकृति न दी जाय चाहे वह पूर्णतः प्राईवेट फोरेस्ट घोषित हो या आंशिक रूप से । अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी की राय पर यह सामान्य मत था कि मसूरी में बढ़ती हुई जनसंख्या व पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुये निर्माण को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है क्योंकि इससे मसूरी का विकास ही रूक जायेगा । अतः यह आम राय हुयी कि जिन ईस्टेट्स में कुछ भाग प्राईवेट फोरेस्ट घोषित नहीं है उस भाग में निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है वशर्ते वहां पेड़ न हो, हिल कटिंग न हो व पर्यावरण को हानि न हो तथा वे देहरादून की ओर न हो । इसी प्रकार ईस्टेट्स के पूर्व निर्मित व पूर्व विकसित वृक्ष रहित भाग जो प्राईवेट फोरेस्ट घोषित है में भी वर्तमान भवनों के परिवर्धन/परिवर्तन विस्तार के रूप में नव निर्माण की स्वीकृति पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में वन विभाग की राय भी प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जाय ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांकः- 8:-

श्रीमती नूतन द्विवेदी तथा श्री अजय द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक मानचित्र संख्या 1770/88-89 तथा श्री एम0पी0 अवस्थी एवं श्री मनोज अवस्थी के व्यवसायिक मानचित्र संख्या 392/88-89 के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर निर्देश दिये गये कि सहयुक्त नियोजक से मामले का विस्तार पूर्वक परीक्षण करा लिया जाय और उनकी आख्या को देखते हुए उपाध्यक्ष आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

विषय क्रमांकः- 9:-

प्राधिकरण का बजट वर्ष 1988-89 का संशोधन तथा वर्ष 1989-90 का प्रस्तुतीकरण ।

..8..

प्राधिकरण का वर्ष 1988-89 का संशोधित बजट तथा 1989-90 के लिये प्रस्तावित बजट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष कार्य अधिकारी वित्त विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि वाहन क्रय पर व्यय पृथक से प्रदर्शित किया जाना चाहिये। तदनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिये वाहन क्रय पर बजट शून्य कर दिया गया और वर्ष 89-90 के लिये पी0ओ0एल0 मद में दो लाख रूपये निर्धारित किये गये। वाहनों के अनुरक्षण पर कठोर नियंत्रण रखने हेतु उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक वाहन पर होने वाले खर्च का बिल तथा विवरण तथा पत्रावली अलग-अलग रखी जानी चाहिये ताकि वाहन अनुरक्षण की मौनीटरिंग ठीक से की जा सके। सत्कार व्यय के सम्बन्ध में उन्होंने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक उपक्रम के हित में विशिष्ट व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित द्रोण होटल में करायी जानी चाहिये। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामुदायिक कार्यों के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाये जिनसे भारतीय संस्कृति का उत्थान हो। इस हेतु उनसे कुछ संस्थाओं के नाम सुझाने हेतु भी कहा गया जिनके द्वारा निकट भविष्य में देहरादून/मसूरी में कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेंगे। प्राधिकरण द्वारा विशेष कार्याधिकारी वित्त विभाग के सुझावों की सराहना की गयी और वर्ष 1989-90 का प्रस्तावित बजट तथा 1988-89 के संशोधित बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांकः-10:-

मसूरी की महायोजना

मसूरी की महायोजना के लिये प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.3.89 को मसूरी में ही प्राधिकरण की आगामी बैठक नियत कर दी गयी जिसमें विशेष रूप से मसूरी की महायोजना पर विचार किया जायेगा। नगर नियोजन विभाग कृपया बैठक की विषय सामग्री सभी सदस्यों को उचित समय पर अग्रिम रूप में भेज दें।

॥कार्यवाही वरिष्ठ नियोजक
॥कार्यालय मुख्य नगर व ग्राम्य
॥नियोजक, लखनऊ ॥

विषय क्रमांकः-11:-

मसूरी में अभिनन्दन होटल के मानचित्र संख्या-9/एम/88 की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

(147) (161)

बैठक में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि पहले मानचित्र सहयुक्त नियोजक को परीक्षण हेतु भेजा जाय जो अपनी विस्तृत आ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगें ।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक॥

विषय क्रमांक:- 12:-

मसूरी में हुसैन गंज व रौक्सी होटल के समीप भूमि का प्राधिकरण को हस्तान्तरण ।

इस विषय को विषय क्रमांक 4 के साथ सम्मिलित करके यह बिन्दु अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया गया । इस बीच उपाध्यक्ष/सचिव विकास प्राधिकरण हुडकों के पैनल परामर्श दाताओं से यह जानकारी कर लें कि लैण्ड स्केप प्लान तथा टैक्नीकल/ईकोनोमिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु वे कितनी धनराशि शुल्क के रूप में मागेंगे ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक:- 13:-

मसूरी के आस पास क्वैरीज

अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी ने पर्यावरण व वन सरंक्षण के उद्देश्य से पत्थर की क्वैरीज पर कठोर नियंत्रण रखने पर बल दिया । मसूरी के आसपास राजकीय विभागों द्वारा लोक हित में राजकीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये पत्थरों की आवश्यकता बताई गई है परन्तु अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी की इस बात में बल अनुभव किया गया कि पर्यावरण व वृक्षों की सुरक्षा भी जरूरी है। अत: क्वैरीज के लिये उपयुक्त स्थान तय करने हेतु एक कमेटी गठित की गयी जिसमे अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, अध्यक्ष सिटी बोर्ड मसूरी तथा उप वन संरक्षक मसूरी सदस्य होगें तथा इस समिति का संयोजन नगरपालिका मसूरी के कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा मसूरी नगरपालिका के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होगें ।

॥कार्यवाही नगरपालिका मसूरी॥

अनुपूरक विषय क्रमांक:- 01:-

प्राधिकरण में कम्प्यूटर व्यवस्था

हुडको द्वारा प्रायोजित की जा रही कम्प्यूटर व्यवस्था के बारे में प्राधिकरण को अवगत कराया गया । विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण द्वारा

क्रमश:...10.

यह निर्देश दिये गये कि वर्तमान में कम्प्यूटर को क्रय करने का प्रस्ताव स्थगित किया जाय।

अन्य विषय:-
=========

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिलाधिकारी, देहरादून ने मसूरी में यूथ हौस्टल के निर्माण का प्रश्न बैठक में उठाया। इस यूथ हौस्टल के निर्माण पर सहयुक्त नियोजक द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी है क्योंकि जिस क्षेत्र में इस हौस्टल का निर्माण प्रस्तावित है वह मसूरी की प्रस्तावित महायोजना में हरित क्षेत्र दिखाया जा रहा है। निदेशक पर्यावरण ने भी यह बताया कि उन्हें शासन की ओर से निर्देश प्राप्त हुये हैं कि वे मसूरी के पर्यावरण व सौन्दर्य को देखते हुये इस स्थान का निरीक्षण कर अपनी आख्या शासन को दें। सहयुक्त नियोजक ने आपत्ति प्रकट की है कि इस स्थान पर यूथ हौस्टल के बनने से सड़क के किनारे दुकानें व अन्य निर्माण हो जायेंगे जिससे न केवल यातायात में अवरोध होगा बल्कि देहरादून से मसूरी की ओर जाने वाले रास्ते के आसपास की सुन्दरता भी प्रभावित होगी। जिलाधिकारी ने यूथ हौस्टल की आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि यदि इस हौस्टल के इस स्थान पर निर्माण पर आपत्ति की गयी तो यूथ हौस्टिल के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया धन किसी अन्य जिले को मिल जायेगा और यह जिला इस सुविधा से वंचित हो जायेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूथ हौस्टिल के बनने से पर्यावरण व सौन्दर्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस यूथ हौस्टिल में ऐसे विद्यार्थी व युवक रुकेंगे जो पर्वतों के पर्यावरण व सौन्दर्य के बारे में जानकारी करना चाहते हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि जितने भाग पर यूथ हौस्टिल का निर्माण प्रस्तावित है उसे प्रस्तावित मास्टर प्लान में यूथ हौस्टिल के उपयोग के लिये अंकित कर दिया जाय क्योंकि हरित क्षेत्र में इस प्रकार के हौस्टिल का निर्माण इस भूउपयोग के प्रतिकूल नहीं कहा जायेगा। इस यूथ हौस्टल के निर्माण पर सैद्धान्तिक सहमति हुयी और यह निर्णय हुआ कि प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र व साईट प्लान प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिये जायें जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पर्यावरण संतुलन बना रहे और पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के सम्बन्ध में निदेशक पर्यावरण द्वारा दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखा जाये जो वे स्थल निरीक्षण के उपरान्त देना चाहें।

(147)

--11-

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी। प्राधिकरण की अगली बैठक दिनांक 25.3.89 को मसूरी में होगी ।

(यू०डी०चौबे)	(प्रताप सिंह)	(एस०एस०पांगती)
सचिव,	उपाध्यक्ष	आयुक्त/अध्यक्ष,

म सू री दे ह रा दू न वि का स प्रा धि क र ण,
दे ह रा दू न ।

पुष्टि की जाती है
7.4.89.
आयुक्त/अध्यक्ष
7/4/89